निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1944 (श0)

(सं0 पटना 601) पटना, मंगलवार, 16 अगस्त 2022

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2022

सं० 8न०वि० RERA विविध–08/2022–397––भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्त्त के निर्धारण से सम्बन्धित बिहार भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2017 के नियम–20(1) के अन्तर्गत कंडिका–(क) एवं (ख) को एतद् द्वारा निम्न रूप से संशोधित किया जाता है –

(क) भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार (RERA) के अध्यक्ष को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में, उनकी सेवा शर्त्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राधिकरण के अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते प्राधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियमित सेवा में धारित पद के विरूद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

अध्यक्ष के रुप में वैसे व्यक्ति जो केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवा में नहीं हों अथवा नहीं रहें हो, उन्हें देय मासिक वेतन हेतु नियमावली के वर्त्तमान प्रावधान जो समेकित रुप से 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपया) प्रति माह की दर से निर्धारित है, प्रभावी होंगे। वह आवास, वाहन एवं अन्य किसी प्रकार के भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

(ख) भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार (RERA) के सदस्य को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राधिकरण के सदस्य के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते प्राधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व सदस्य द्वारा धारित पद के विरूद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

सदस्य के रुप में वैसे व्यक्ति जो केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवा में नहीं हों अथवा नहीं रहें हो, उन्हें देय मासिक वेतन हेतु नियमावली के वर्त्तमान प्रावधान जो समेकित रुप से 2,00,000/– (दो लाख रुपया) प्रति माह की दर से निर्धारित है, प्रभावी होंगे। वे आवास, वाहन एवं अन्य किसी प्रकार के भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार यादव,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 601-571+200-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in